



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 जनवरी, 2018

पौष 14, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

संख्या 3327/86-2017-151(सा0)-2017

लखनऊ, 4 जनवरी, 2018

अधिसूचना

सा०प०नि०-1

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 71 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ-5 में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ स्तम्भ-4 में उल्लिखित अधिकारिता के भीतर स्तम्भ-2 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्राधिकृत करते हैं।

2-अधिसूचना संख्या 2380/18-11-97-601-67, दिनांक 5 जून, 1997 की क्रम-संख्या 8 पूर्वोक्त दिनांक से निकाल दी जायेगी।

### अनुसूची

क्र० सं०	नियम	अधिकारी	अधिकारिता	ऐसी निबंधन एवं शर्तें, जिनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा
1	2	3	4	5
1	34 (2), (3), (4), एवं (5)	(एक) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म (दो) जिलाधिकारी	सम्पूर्ण राज्य जिले के भीतर	साधारण मिट्टी और ईट-मिट्टी को छोड़कर समस्त उपखनिजों के खनन योजना के सम्बन्ध में। केवल साधारण मिट्टी और ईट-मिट्टी के खनन योजना के सम्बन्ध में।
2	34 (7)	(एक) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म (दो) जिलाधिकारी	सम्पूर्ण राज्य जिले के भीतर	उपखनिजों के ऐसे खनन पट्टों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। उपखनिजों के ऐसे खनन पट्टों के सम्बन्ध में जो जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।



1	2	3	4	5
3	34(8), (9), (10) एवं (11)	(एक) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म	सम्पूर्ण राज्य	ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आश्वासन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।
		(दो) जिलाधिकारी	जिले के भीतर	ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आश्वासन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।

आज्ञा से,  
राज प्रताप सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3327/LXXXVI-2017-151(Sa.)-2017, dated January 4, 2018:

No. 3327/LXXXVI-2017-151(Sa.)-2017  
Dated Lucknow, January 4, 2018

In exercise of the powers under rule 71 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, the Governor is pleased to authorize the officers mentioned in column-3 of the Schedule given below to exercise the powers mentioned in column-2, with the terms and conditions mentioned in column-5 within the jurisdiction mentioned in column-4 with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

\* 2. Serial no. 8 of notification no. 2380/XVIII-11-97-601-67, dated June 5, 1997 shall be *omitted* with effect from the aforesaid date.

#### SCHEDULE

Sl. no.	Rule	Officer	Jurisdiction	Terms and conditions under which conferred powers will be exercised
1	2	3	4	5
1	34(2), (3), (4) and (5)	(1) Director, Geology and Mining	Whole of the State	Regarding Mining Plan of all the Minor Mineral except Ordinary Earth and Brick Earth.
		(2) District Magistrate	With in the District	Regarding Mining Plan of Ordinary Earth and Brick Earth only.
2	34(7)	(1) Director, Geology and Mining	Whole of the State	Regarding Mining Leases of Minor Minerals which are granted by the State Government.
		(2) District Magistrate	With in the District	Regarding Mining Leases of Minor Minerals which are granted by the District Magistrate.
3	34(8), (9), (10) and (11)	(1) Director, Geology and Mining	Whole of the State	Regarding the matters where financial assurance has been produced before the Director.
		(2) District Magistrate	With in the District	Regarding the matters where financial assurance has been produced before the District Magistrate.

By order,  
RAJ PRATAP SINGH,  
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 763 राजपत्र (हि०)-2018-(2447)-599 प्रतियां-(कम्प्यु०/टी०/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 13 सा० भूतत्व एवं खनिकर्म-2018-(2448)-500 प्रतियां-(कम्प्यु०/टी०/आफसेट)।